

## प्ररूप आठ

(नियम 12 देखिए)

भूमि के विकास के लिये धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा आवेदन पत्र का प्ररूप

प्रेषक

.....  
.....

प्रति,

संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
छत्तीसगढ़ रायपुर

तारीख .....

महोदय,

मैं/हम उस भूमि के जिस पर मैं/हम आवश्यक स्वामित्व अधिकार रखता हूँ/रखते हैं, जो ..... सड़क/मार्ग वार्ड क्रमांक ..... खंड क्रमांक ..... पर स्थित स्कीम का नाम (यदि कोई हो) ..... है ..... वर्ग गज/मीटर माप के भू-भाग पर भवन बनाने/पुनः बनाने, उसमें या/और परिवर्तन करने/उसकी मरम्मत कराने हेतु अनुज्ञा के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

1. मैं/हम निम्नलिखित की प्रतियां प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं –
  - (क) संलग्न अनुसूची में कथित किये गये अनुसार रेखांकों, उन्नतांशों तथा अनुभोगों बाबत पत्रक ।
  - (ख) प्रस्तावित भवन का विहित प्ररूप में विशेष विवरण ।
2. रेखांक ..... रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्/सर्वेक्षक का नाम रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ..... पता ..... द्वारा तैयार किये गये है ।
3. मैंने अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन बनाये गये नियम में विहित किये गये मान के अनुसार ..... रुपये फीस का निक्षेप कर दिया है ।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर  
पता .....

**विशेष विवरण—पत्रक**  
**प्रस्तावित भवन का विशेष विवरण**

1. भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल ..... वर्गफुट
2. कुल निर्मित क्षेत्र  
विद्यमान भू-तल ..... वर्गफुट/प्रस्तावित ..... वर्गफुट,  
विद्यमान प्रथम मंजिल ..... वर्गफुट/प्रस्तावित ..... वर्गफुट,  
विद्यमान द्वितीय मंजिल ..... वर्गफुट/प्रस्तावित ..... वर्गफुट,
3. वह प्रयोजन जिसके कि लिये ..... भवन का उपयोग आशयित है ।
4. विशेष विवरण जो निम्नलिखित के निर्माण के उपयोग में लाया जायेगा –  
(एक) नींव  
(दो) दीवालें  
(तीन) फर्श  
(चार) छत
5. भवन में अन्तर्विष्ट होने वाली मंजिलों की संख्या .....
6. ऐसे व्यक्तियों की लगभग संख्या, जिन्हें कि वास सीन दिया जाना प्रस्तावित है ।
7. उन शौचालयों की संख्या जिनकी कि व्यवस्था की जायेगी ।
8. क्या स्थल पर पूर्व में ही निर्माण हुआ है, यदि ऐसा हुआ हो, तो पूर्ववर्ती भवन रहने के लिये कब से उपयुक्त नहीं रहा .....
9. भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये उपयोग किये जाने वाले जल का स्रोत।

.....  
आवेदक के हस्ताक्षर